



प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 08-08-2024

विषय:- उ०प्र० स्टेट यार्न कं० लि०, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्टिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आवंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में उ०प्र० स्टेट यार्न कं० लि०, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्टिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि ₹0 2,56,32,000.00 (₹0 दो करोड़ छप्पन लाख बत्तीस हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि में से शासनादेश संख्या-14/2024/77-1002(001)/2/2021/001-255 दिनांक 27.05.2024 द्वारा प्रथम किशत के रूप में धनराशि ₹0 64,08,000.00 (₹0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) निर्गत की गयी है। सम्प्रति ₹0 1,92,24,000.00 (₹0 एक करोड़ बान्बे लाख चौबीस हजार मात्र) धनराशि अवशेष है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उक्त अवशेष धनराशि में से द्वितीय किशत के रूप में धनराशि ₹0 64,08,000.00 (₹0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उ०प्र० स्टेट यार्न कं० लि०, कानपुर को होल्टिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त स्वीकृत धनराशि ₹0 64,08,000.00 (₹0 चौंसठ लाख आठ हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा आहरित कर उ०प्र० स्टेट यार्न कं० लि०, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।
2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात् इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी। बशर्ते कोई व्यवधान न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5(पांच) समान वार्षिक किशतों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किशत प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किशतें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में व्यवधान होने पर निर्धारित 14 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

6. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2025 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को भेजी जाए।

7. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगे।

8. उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजे:

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

9. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

11. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

12. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ०प्र० कानपुर धनराशि से संबंधित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

13. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर उक्त बंद पड़ी कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 64,08,000.00 (₹ 64 लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6860011900500** उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि. को कर्ज **मानक मद 30** निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-65-X-2024-25, दिनांक 07.08.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(निर्देश कुमार शुक्ल)

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

संख्या-23(1)/2024/77-1002(001)/2/2021/001-589, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम), उ०प्र०, प्रयागराज।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

6- वित्त अधिकारी, उ०प्र० स्टेट यार्न कं०लि०, कानपुर।

7- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ०प्र० शासन।

9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।